अंक 2
संख्या 3

बुधवार
22 जनवरी
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव (बहस समाप्त) 1
2. भूटान और सिक्किम को निगोशिएटिंग कमेटी के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव..... 14
3. विधान-परिषद् के बजट के अनुमान..... 17

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार, 22 जनवरी, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में 11 बजे प्रारंभ हुई

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव बहस समाप्त

***अध्यक्ष:** आज के कार्यक्रम में तीन विषय हैं:

1. उस प्रस्ताव पर विचार जिस पर पिछले कुछ दिनों से बहस हो रही है,
2. भूटान और सिक्किम के सम्बन्ध में पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किया जाने वाला एक और प्रस्ताव, और
3. बजट।

मेरा विचार है कि पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गए लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर अब बहस को समाप्त करना अधिक अच्छा होगा। कल मुझे पता चला था कि सदस्य इस प्रस्ताव पर बहस समाप्त कर देना चाहते हैं और यदि सभा का ऐसा ही विचार है तो मैं पं. जवाहरलाल नेहरू से अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस बहस के जवाब में जो कुछ कहना है, उसे तुरन्त कहकर इस वाद-विवाद को समाप्त कर दें।

श्री एच.जी. खांडेकर (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): जो रेजोल्यूशन हाउस के सामने है उसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे आता है। यह प्रसव भी हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने के लिए है इसलिए इसका फैसला जनवरी की 26 तारीख को ही होना चाहिए। हालांकि साथ ही साथ जनवरी की 26 तारीख को छुट्टी का दिन आता है फिर भी मैं प्रस्ताव करूंगा कि इतने महत्त्व का प्रस्ताव जो है उसे इंडिपेंडेंस डे को ही पास करना चाहिए। इसलिए 26 जनवरी को यह असेम्बली, चाहे चंद मिनटों के लिए ही हो, बुलाई जाये, यह मेरी प्रार्थना है।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, मैं इस सभा की अनुमति से वे दोनों संशोधन जो मेरे नाम से हैं, वापस लेना चाहता हूं। (वाह, वाह)

***अध्यक्ष:** रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय ने प्रस्ताव के सम्बन्ध में दो संशोधन पेश किये थे। वे सभा की अनुमति से अब उन्हें वापस लेना चाहते हैं। क्या मैं यह समझ लूं कि सभा इस पर राजी है?

***माननीय सदस्य:** हां।

***अध्यक्ष:** ये दोनों संशोधन वापस लिए जाते हैं। अब हमारे सामने केवल मुख्य प्रस्ताव ही रह जाता है। और दूसरा कोई संशोधन नहीं है।

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[अध्यक्ष]

अभी-अभी श्री खांडेकर ने एक सुझाव पेश किया है कि हमें यह प्रस्ताव 26 जनवरी को पास करना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से उस दिन रविवार पड़ता है।

***श्री एच.जी. खांडेकर:** उस दिन परिषद् का अधिवेशन केवल कुछ मिनटों के लिए होना चाहिए, क्योंकि यह प्रस्ताव एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है और उसे स्वाधीनता दिवस पर ही पास किया जाना चाहिए। 26 जनवरी को चूंकि रविवार है, इसलिए मैं अध्यक्ष-महोदय से निवेदन करता हूं कि वे कुछ मिनट के लिए उस दिन सभा का अधिवेशन बुलाएं इस प्रस्ताव पर विचार करके उसे पास किया जा सके।

अध्यक्ष: पं. जवाहरलाल नेहरू का भाषण हो जाने के बाद हम इस सुझाव पर विचार करेंगे। मैं इस सभा की राय लूंगा कि क्या इसे आज पास किया जाये अथवा नहीं।

***माननीय सदस्य:** आज ही।

***अध्यक्ष:** तो फिर 20 जनवरी को ही 26 जनवरी समझ लिया जायेगा। पं. जवाहरलाल नेहरू!

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू (संयुक्तप्रांत : जनरल): साहबे सदर, 6 हफ्ते हुये कि मैंने इस प्रस्ताव को यहां पेश किया था। उस वक्त मेरा ख्याल था कि दो तीन दिन के अन्दर उसका फैसला होगा और वह मंजूर हो जायेगा लेकिन बाद में इस मजलिस ने फैसला किया कि इसको हम मुल्तवी कर दें और लोगों को इस पर गौर करने का मौका दें। मुमकिन है कि मेरी तरह अक्सर साहिबान को भी यह फैसला नागवार गुजरा हो कि ऐसा अहम प्रस्ताव एक दफा उठाकर उसे मुल्तवी कर दिया जाये। लेकिन मुझे कोई शक नहीं रहा था कि जो फैसला मुल्तवी करने का किया गया था वह मुनासिब फैसला था। हमारे दिल में बेकरारी और बेताबी थी। महज इस रिजोल्यूशन के पास होने की नहीं (वह तो एक निशानी है) बल्कि इन बातों को हासिल करने के लिये जो उसमें लिखी हैं। उसके साथ यह भी इन्तिहा दर्जे की ख्वाहिश है कि इस काम में हम सब लोग मिलकर चलें और हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमी मंजिल तक पहुंचें। इसलिये मुनासिब था कि वह मुल्तवी हो और गौर करने का काफी मौका महज इस हाउस को ही नहीं बल्कि तमाम मुल्क को मिले। जो भी तरमीमें थीं और खास तौर से डॉक्टर जयकर की तरमीम का बहुत कुछ मतलब मुल्तवी करने का था। मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने उस तरमीम को वापिस ले लिया और दूसरी तरमीमें भी वापस ली गईं इसके लिये भी मैं मशकूर हूं। मालूम नहीं कि इस हाउस के कितने मेम्बर इस रिजोल्यूशन पर बोल चुके। शायद 30, 40 या इससे भी ज्यादा। करीब-करीब हरेक ने पूरी तौर पर इसकी ताईद की, किसी ने मुखालफत नहीं की। कहीं-कहीं बाज बातों की तरफ तबज्जह दिलाई गई। मेरा ख्याल है कि अगर हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों की राय ली जाये तो हम देखेंगे कि सब उसकी ताईद में हैं। शायद कोई किसी खास बात पर ज्यादा तबज्जह दिलाये या कम। इस नीयत से यह रिजोल्यूशन पेश हुआ था और बड़े गौर खोज के बाद अलफाज जोड़े गये थे ताकि कोई ऐसी बात पेश न हो जो ज्यादा बहस तलब हो, बल्कि

हमारे करोड़ों आदमियों के दिलों में जो आरजुयें हैं उनको लफजी जामा पहना कर पेश करें। इस पर खास कुछ मेरे कहने की क्या जरूरत है लेकिन आपकी इजाजत से दो एक बातों की ओर तवज्जह दिलाऊंगा। एक वजह इसको मुल्तवी करने की यह थी कि हम चाहते थे कि हमारे जो भाई यहां नहीं आये हैं उनको यहां आने का मौका मिले। इसे मुल्तवी करके एक महीने का मौका दिया गया था, लेकिन अफसोस है कि अब तब उन्होंने आने का फैसला नहीं किया लेकिन बहरसूरत जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हम इस दरवाजे को खुला रखेंगे, आखिरी दम तक खुला रखेंगे और उनको, और हरेक को, जिनको यहां आने का हक है, पूरे तौर से आने का मौका देंगे। जाहिर है कि दरवाजा खुला है लेकिन हमारा काम नहीं रुक सकता। इसलिये जरूरी हो गया कि इस रिजोल्यूशन को पूरी मंजिल तक पहुंचायें। मुझे उम्मीद है कि अब भी जो साहिबान बाहर हैं वे आने का फैसला करेंगे। बाज लोगों की राय थी (हालांकि वे इस रिजोल्यूशन से मुत्तफिक हैं) कि हमारे बाज और काम भी मुल्तवी होते जायें ताकि किसी के आने में कोई रुकावट न पड़े। मुझे इस राय से किसी कदर हमदर्दी है, लेकिन हमदर्दी होते हुये भी मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कोई साहब इस राय को पेश कर सकते हैं। इन्तजार करने का सवाल है, रिजोल्यूशन को मुल्तवी करने का नहीं। 6 हफ्ते हमने इन्तजार किया लेकिन दरअसल 6 हफ्ते का सवाल नहीं है, बल्कि इन्तजार करते-करते उमरें गुजर गई हैं। कब तक हम और इन्तजार करें? बहुत लोग इन्तजार करते-करते गुजर भी गये। अक्सर लोगों का भी आखिरी जमाना आ रहा है। इन्तजार काफी हो चुका अब ज्यादा इन्तजार नहीं हो सकता। चुनाचे हमें इस असेम्बली के काम को चलाना है, तेजी से चलाना है और जल्द खत्म करना है क्योंकि आप याद रखिये कि असेम्बली का काम रिजोल्यूशन पास करना ही नही है। मैं तो यह कहूंगा कि कांस्टीट्यूशन बना देने से ही काम पूरा नहीं होगा। यह तो महज एक बुनियाद है। पहला काम इस असेम्बली का यह होगा कि इस कांस्टीट्यूशन के जरिये से हिन्दुस्तान में आजादी फैलायें, भूखों को रोटी दें और नंगों को कपड़ा दें और हिन्दुस्तान के रहने वालों को मौका मिले कि वह पूरी तौर पर तरक्की कर सकें। यह एक बड़ा काम है। आज कल आप हिन्दुस्तान की तरफ देखें। हम यहां बैठे हैं मगर कितने ही शहरों में परेशानी है, कितने ही शहरों में झगड़े हो रहे हैं। झगड़ों की बड़ी चर्चा होती है जिन्हें फिर कावाराना झगड़ा कहते हैं बदकिस्मती से हमें इनका कभी-कभी सामना करना पड़ता है लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल हिन्दुस्तान में है वह गरीबों और भूखों का है, किस तरह से इनको हल किया जाये। जिधर आप देखें यही सवाल है। अगर इस सवाल का हम जल्द फैसला नहीं कर सकते तो आपका सारा कागजी विधान और आईन फिजूल हो जाता है। इसलिये इस नक्शे को सामने रख कर कौन इन्तजार कर सकता है और हमारे काम को मुल्तवी कर सकता है? एक तरफ से आवाज आई है कि वालियान रियासत को पूरे तौर से यह रिजोल्यूशन पसन्द नहीं है क्योंकि इसमें चन्द हिस्से ऐसे हैं, जिन्हें वे समझते हैं कि वे उनके अख्तियारात में दखल देते हैं। बहर सूरत वह यहां नहीं हैं। उनकी

[मा. पं. जवाहरलाल नेहरू]

गैरहाजरी में हम कैसे कोई फैसला करें? यह बात सही है कि वह यहां नहीं हैं लेकिन अगर हम उनका इन्तजार करेंगे तो इस नक्शे के मुताबिक इस कांस्टीट्यूएट असेम्बली के आखिर तक भी हम काम पूरा नहीं कर सकते। यह तो नामुमकिन बात है। हमारा बनाया हुआ नक्शा यह नहीं था कि वह आखिर में आयें। हमने तो उनसे पहले ही आने के लिए कहा था। वह आयें तो उनका स्वागत है। हम उनको नहीं रोकते हैं। कुछ रुकावट है तो उनकी ही तरफ से है। एक महीना गुजरा आपने उनके नुमाइन्दों से मशविरा करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। हम मशविरा करने के लिये तैयार हैं गो कि अब तक हमें मौका नहीं मिला। इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने वक्त नहीं मांगा। हम तो जल्द-से-जल्द इस काम को पूरा करना चाहते हैं। यह शिकायत उनकी है कि उसमें लिखा है ''आखिरी फैसले का अख्तियार आम लोगों को हासिल है'' (सोवरेनिटी बिलोंग्स टु दी पीपुल एंड रेस्टस विद दी पीपुल) उन्हें इस बात पर ऐतराज है। ऐतराज मैं समझ सकता हूं क्योंकि जो लोग एक जमाने से पुराने ख्याल के बन गये हैं और एक ऐसी फिजा में रहते हैं, जिसमें नये ख्याल दिमाग में नहीं आते तो कोई ताज्जुब नहीं है कि वह आसानी से इन ख्यालों को न छोड़ पायें। लेकिन आजकल के जमाने में कोई शख्स यह कहे कि कुल अख्तियार एक इंसान को हासिल हैं और हुकूमत करने का हक उसको खुदा का दिया हुआ है या किसी और ताकत का तो यह एक अजीब व गरीब बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई हिन्दुस्तान का आदमी चाहे वह रिआसती मुमालिक का हो या कहीं और का, कैसे इस बात को कहने की जुरअत कर सकता है। यह नामुनासिब बात है कि जो बात सैकड़ों वर्ष पहले दुनिया में उठी थी और नामंजूर हुई वह अब पेश की जाये। चुनाचे मैं उनसे निहायत अदब से कहूंगा कि ऐसी बातें कहने से वह अपनी हैसियत को कम करते हैं। और अपनी जगह को कमजोर करते हैं और दुनिया के सामने एक गलत बात कहते हैं। कम-से-कम यह असेम्बली अपनी बुनियाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, अगर पहुंचायेगी तो सारे हमारे कांस्टीट्यूशन बनाने की बुनियाद गलत हो जायेगी।

आइन्दा हमारा ताल्लुक और मुल्कों से क्या होगा, जब हम एक आजाद मुल्क और रिपब्लिक होंगे? क्या ताल्लुक अंग्रेजों के मुल्क से होगा और क्या ताल्लुक दूसरे मुल्कों से होगा? यह सवाल उठ सकता है। हम रिजोल्यूशन के मानी हैं कि हम पूरे तौर से आजाद हों और किसी और गिरोह में शरीक न हों, सिवाय ऐसे गिरोह के जो दुनिया में बन रहा है और जिसमें दुनिया के और मुल्क शामिल हैं। वाकई बात यह है कि आज जमाना बिल्कुल बदल गया है, लफजों के मायने बदल रहे हैं। आजकल जो जरा भी गौर करता है वह यह समझ लेता है कि अगर कोई अन्देशा दूर हो सकता है, तो वह सिर्फ एक तरह से और वह यह कि दुनिया के मुल्क आपस में मिल कर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। बहुत बड़े-बड़े नुक्स यूनाइटिड नेशन्स ऑरगेनाइजेशन्स में हो रहे हैं। हजारों दिक्कतें हैं, हजारों शक हैं जो एक-दूसरे पर किये जा रहे हैं। हमने कहा है कि

हम पूरे तौर से और मुल्कों से मिल-जुलकर इस काम में शरीक होंगे। हालांकि अंग्रेजों के मुल्क से और ब्रिटिश कामनवेल्थ के मुल्कों से शरीक होकर काम करना आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं कि हम अपनी पुरानी लड़ाई के किस्से को दिमाग से भुला दें और आजाद होने की पूरी तौर से कोशिश करें और दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती रखें। लेकिन इस दोस्ती से हमारी आजादी में जरा भी कमी न होगी। यह रिजोल्यूशन कोई लड़ाई का नहीं है, बल्कि अपने हक को दुनिया के सामने रखने के लिए है और अगर इस हक के खिलाफ कोई बात ऐसी होगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन यह रिजोल्यूशन एक दोस्ती और समझौते का है। हिन्दुस्तान के सब लोगों से चाहे वह किसी कौम और किसी मजहब के हों, और दुनिया के सब मुल्कों से और कौमों से जिसमें अंग्रेजों का मुल्क और ब्रिटिश कामनवेल्थ और दुनिया के और मुल्क भी शामिल हैं, यह रिजोल्यूशन सब से दोस्ती रखने का दावा करता है। यह आपके सामने इसी नीयत के साथ पेश किया गया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे मंजूर करेंगे।

एक भाई ने याद दिलाया है कि चार दिन के बाद वह दिन जिसे हम आजादी का दिन कहते हैं आने वाला है और मुनासिब होता कि यह रिजोल्यूशन उस दिन पेश होता। शायद एक मानों में यह मुनासिब होता, लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर हम एक मुनासिब काम पहले कर सकते हैं तो उसको एक साइत के लिए भी टालना मुनासिब नहीं है। जितना जल्द हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं करें, उसको एक घंटे के लिए भी मुल्तवी करना मुनासिब नहीं है।

यह रिजोल्यूशन जो मैंने आपके सामने पेश किया है एक नई शक्ल में है, एक नये जामे में है। लेकिन यह एक लम्बे सिलसिले के बाद आया है। इसके पीछे कितने रिजोल्यूशन हैं, कितनी प्रतिज्ञायें हैं, कितने इकरारनामे हैं, जिसमें आजादी और 'क्विट इंडिया' यानी हिन्दुस्तान छोड़ो के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इन रिजोल्यूशनों ने दुनिया में नाम हासिल किया है। अब वक्त आ गया है कि जो हमने इकरार किये थे, उनको पूरा करें। यह कैसे पूरा करें? यह सब आप साहिबान के हाथ में है। चुनाचे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस रिजोल्यूशन को सिर्फ मंजूर ही नहीं करेंगे, बल्कि इसको एक इकरार समझ कर जल्द से जल्द पूरा करेंगे।

मैं एक बात बाअदब आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे सामने बहुत से सवाल आयेंगे और आते हैं अलहदा-अलहदा गिरोहों के लोग और अलहदा-अलहदा फिरकों के लोग अपने-अपने ढंग से इसको देखेंगे और बहस भी होगी, लेकिन हमेशा इस सवाल को याद रखना है कि छोटी बातों में और छोटी-छोटी बहसों में हम न बहक जायें, बल्कि उस बड़ी बात को सामने रखें कि अगर हिन्दुस्तान आजाद होता है तो हम सब हिन्दुस्तानी आजाद होंगे और अगर हिन्दुस्तान आजाद नहीं होता है तो हम सब गुलाम रहेंगे। अगर हिन्दुस्तान जिन्दा है तो हम भी जिन्दा हैं और सब फिरके और गिरोह भी जिन्दा हैं या आजाद हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अंग्रेजी में भी अर्ज कर दूं।

[मा. पं. जवाहरलाल नेहरू]

*अध्यक्ष महोदय, आज 6 सप्ताह हुये कि इस महती सभा के सामने इस प्रस्ताव को पेश करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव उपस्थित करते समय मैंने अवसर की गम्भीरता और पवित्रता का अनुभव किया था। सभा के सामने मैंने केवल चुने हुये शब्दों का समूह, सिर्फ एक रस्मी प्रस्ताव ही नहीं रखा था। वरन् प्रस्ताव और उसके शब्द राष्ट्र की उस वेदना और आशाओं को व्यक्त करते थे जो आज फलवती होने जा रही है।

उस अवसर पर यहां खड़ा होकर मैंने अनुभव किया था कि अतीत हमारे चतुर्दिक व्याप्त है और भविष्य भी अपना स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। हम वर्तमान रूपी तलवार की धार पर चल रहे हैं और चूंकि मैं न केवल सभा के सदस्यों के सामने बोल रहा था बल्कि हिन्दुस्तान की 40 करोड़ जनता के आगे अपनी बात कह रहा था, और चूंकि यह महसूस कर रहा था कि हम नये जमाने में कदम रखने जा रहे हैं, मुझे ऐसा जान पड़ता था मानों हमारे पूर्वज हमारी कार्यवाही को देख रहे हैं और अगर हम ठीक दिशा में चल रहे हैं तो उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। हमें ऐसा भी मालूम पड़ता था मानों हमारा सम्पूर्ण भविष्य जिसके हम संरक्षक हैं, प्रत्यक्ष हमारी आंखों के आगे अपना स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। भविष्य का संरक्षक बनना बड़े दायित्व का काम था और अपने गौरवशाली अतीत का उत्तराधिकारी बनना भी दायित्वपूर्ण था। महान् अतीत और अपनी कल्पना के महान् भविष्य के बीच स्थित वर्तमान के किनारे हम खड़े थे और मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि अवसर की गम्भीरता का प्रभाव इस महती सभा पर भी अवश्य पड़ा था।

ऐसी अवस्था में मैंने यह प्रस्ताव सभा के सम्मुख रखा था और आशा की थी यह दो तीन दिनों में ही पास हो जायेगा और शीघ्र ही हम अपना अन्य काम प्रारम्भ कर देंगे। परन्तु एक लम्बे वाद-विवाद के बाद सभा ने उस पर और विचार आगे के लिये स्थगित रखना तय किया। मैं यह मंजूर करता हूं कि इससे मुझे थोड़ी निराशा भी हुई क्योंकि मैं इस बात के लिए अधीर हो रहा था कि हम लोग आगे बढ़ें। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि पथ में विलम्ब करके हम अपनी की हुई प्रतिज्ञा के प्रति झूठे बन रहे हैं। यह तो बहुत बुरा प्रारम्भ था कि हम लक्ष्य-सम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव को स्थगित कर दें। क्या इसका यह मतलब है कि हमारा भविष्य का काम भी धीरे-धीरे होगा और जब तब स्थगित होता रहेगा? फिर भी मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि सभा ने अपनी बुद्धि से उस प्रस्ताव को स्थगित रखने का जो फैसला किया था वह दुरुस्त फैसला था क्योंकि हमने इन दो बातों पर सदा ध्यान दिया है। एक तो इस बात पर कि हमारा लक्ष्य तक पहुंचना नितान्त आवश्यक है और दूसरे इस बात पर कि हम यथा समय और अधिक से अधिक एकमत होकर अपने लक्ष्य पर पहुंचें। इसलिये मैं यह सादर कहता हूं कि यह ठीक ही हुआ कि सभा ने इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का फैसला किया और इस तरह उसने न सिर्फ संसार को ही प्रकट कर दिया कि

हमारी यह आन्तरिक इच्छा है कि जो लोग नहीं आये हैं वे भी शरीक हों बल्कि देश के सभी लोगों को इस बात का यकीन दिला दिया कि हम, सबका सहयोग पाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। तब से आज 6 हफ्ते गुजर चुके हैं और इस बीच में अगर वे आना चाहते तो उनको काफी मौका मिला। दुर्भाग्य से उन्होंने अब तक आने का फैसला नहीं किया है और अभी भी अनिश्चय की अवस्था में पड़े हैं। मुझे इसका खेद है और मैं इतना ही कह सकता हूं कि वे भविष्य में जब आना चाहें आयें, हम उनका स्वागत करेंगे। पर यह बात तो साफ-साफ समझ लेनी चाहिए और इसमें कोई गलतफहमी न होनी चाहिये कि भविष्य में हमारा काम रुकेगा नहीं, चाहे कोई आवे या न आवे। काफी इन्तजार किया जा चुका है। न केवल 6 हफ्ते बल्कि देश के बहुत से लोगों ने सालों तक इन्तजार किया है और देश ने तो कई पीढ़ियों तक प्रतीक्षा की है। आखिर हम कितना और इन्तजार करेंगे। और अगर हम लोग, हममें से कुछ लोग, जो सम्पन्न हैं इन्तजार कर भी सकते हैं तो भूखे और बिना अन्न मरने वाले भला कैसे इन्तजार कर सकते हैं? यह प्रस्ताव भूखों को भोजन तो नहीं देगा पर यह उन्हें बहुत-सी बातों का विश्वास दिलाता है। यह उन्हें आजादी का, भोजन का और सब लोगों को अवसर देने का विश्वास दिलाता है।

इसलिये जितना जल्दी हम इसे कार्यान्वित करने में लग जायें उतना ही अच्छा है। हमने 6 हफ्ते तक इन्तजार किया और इस बीच में देश ने इस पर सोचा है विचार किया है। दूसरे देशों ने और दूसरे लोगों ने भी जिनकी इसमें दिलचस्पी है इस पर सोच-विचार किया है। इस प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिये हम लोग यहां पुनः समवेत हो रहे हैं। हमने इस पर एक लम्बा वाद-विवाद किया है और अब इसे मंजूर करने वाले ही हैं मैं डॉ. जयकर और श्री सहाय का कृतज्ञ हूं कि आप लोगों ने अपने संशोधन वापस ले लिये। डॉ. जयकर के उद्देश्य की सिद्धि तो प्रस्ताव को स्थगित रखने से हो चुकी थी और ऐसा जान पड़ता है कि सभा में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत न हो। हां, यह हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा-बहुत शाब्दिक हेर-फेर चाहते हों या इसके किसी भाग पर कम या वेशी जोर देना चाहते हों, पर जहां तक समूचे प्रस्ताव का सम्बन्ध है इसे सभा की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसमें जरा भी शक नहीं कि इसको देश का भी पूर्ण समर्थन मिल चुका है।

इसकी कुछ आलोचना भी हुई है और खासकर कुछ राजा-महाराजाओं की ओर से। उनकी पहली शिकायत तो यह है कि रियासती प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में यह प्रस्ताव न पास करना चाहिये था। अंशतः इस आलोचना से मैं सहमत हूं। मेरा मतलब यह है कि मुझे खुशी होती अगर प्रस्ताव पास होते समय सारी रियासतों के, समस्त भारत के, उसके हर हिस्सों के, वास्तविक प्रतिनिधि यहां मौजूद होते। परन्तु अगर वे यहां मौजूद नहीं हैं तो इसमें हमारा दोष नहीं है। यह दोष तो मूलतः उस योजना का है जिसके आधीन हम कार्यवाही कर रहे हैं और हमारे सामने यही रास्ता है। चूंकि कुछ लोग यहां नहीं उपस्थित हो सकते, इसलिये क्या

[मा. पं. जवाहरलाल नेहरू]

हम अपना काम स्थगित रख देंगे? तब तो चूंकि रियासतों के प्रतिनिधि नहीं मौजूद हैं हम न केवल प्रस्ताव को बल्कि और भी बहुत काम स्थगित रख देंगे और यह एक भयानक बात होगी। जहां तक हमारा सम्बन्ध है वे यहां जल्द से जल्द आ सकते हैं। यदि वे रियासतों के समुचित प्रतिनिधि भेजेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। गत 6 हफ्तों के अन्दर भी, हमने अपनी ओर से हर चन्द इस बात की कोशिश की कि हम रियासती कमेटी के सम्पर्क में आवें और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि उनके वास्तविक प्रतिनिधि परिषद् में आ सकें। इसमें देर हुई है यह हमारा दोष नहीं है। हमें खुद इस बात की फिक्र है कि सभी लोग परिषद् में शामिल हों चाहें वे मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हों, रियासतों के प्रतिनिधि हों या और कोई हों। इस दिशा में हमारा प्रयास जारी रहेगा ताकि इस सभा को यथासम्भव देश का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसलिये हम इस प्रस्ताव को या और कामों को महज इस लिये स्थगित नहीं रख सकते कि कुछ लोग यहां मौजूद नहीं हैं।

एक दूसरी आपत्ति भी उठायी गई है। जनता के सर्वसत्ता-सम्पन्न होने की जो कल्पना प्रस्ताव में की गई है वह कुछ नरेशों को पसन्द नहीं है। यह आपत्ति आश्चर्यजनक है और मैं तो कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह नरेश हो या मन्त्री यदि सचमुच इस पर आपत्ति करता है तो भारतीय रियासतों की वर्तमान शासन, पद्धति की तीव्र निन्दा के लिये उसकी यह आपत्ति ही काफी है। किसी भी व्यक्ति चाहे उसका दर्जा कितना भी बड़ा क्यों न हो, यह कहना कि ईश्वरदत्त विशेषाधिकार से मैं मुनष्य पर शासन करने आया हूं नितान्त जघन्य है। यह परिकल्पना असह्य है और उसे यह सभा कभी भी मंजूर न करेगी। अगर सभा के सामने यह बात पेश की गई तो यह भी इसका तीव्र विरोध करेगी। हमने राजाओं के दैवी अधिकार के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना है। हमने इतिहासों में इसके सम्बन्ध में पढ़ा था और यह समझा था कि अब दैवी अधिकार की कल्पना समाप्त हो गई। वह आज मुद्दत हुई दफना दी गई। यदि आज हिन्दुस्तान में या और भी कहीं कोई व्यक्ति इस दैवी अधिकार की चर्चा करता है तो उसकी यह चर्चा भारत की वर्तमान अवस्था से बिल्कुल असंगत है। इसलिये मैं तो ऐसे व्यक्तियों को गम्भीरतापूर्वक यह सुझाव दूंगा कि यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं, दोस्ताना सलूक चाहते हैं, तो उस बात को कहना तो दूर रहा आप उसकी ओर इशारा भी न कीजिये। इस प्रश्न पर कोई समझौता न होगा।

परन्तु, जैसा कि पहले इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मैंने स्पष्ट कहा था, यह प्रस्ताव इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हम लोग रियासतों के अन्दरूनी मामलों में दखल नहीं दे रहे हैं। मैंने तो यहां तक कहा था कि हम रियासतों की राजतन्त्रीय-पद्धति में भी दखल न देंगे, यदि वहां की प्रजा इसे चाहती हो। मैंने ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्तर्गत आयरिश प्रजातंत्र का उदाहरण भी दिया था। और यह कल्पना भी मुझे ग्राह्य है कि भारतीय प्रजातंत्र के अन्तर्गत राजतंत्र भी रह सकते हैं, यदि प्रजा उन्हें चाहती हो। इस बात को तय करना एकमात्र उनका काम है। यह प्रस्ताव और सम्भवतः वह विधान भी, जो हम बनायेंगे, इस मामले में कोई दखल न

देगा। हां यह बात अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि भारत के भिन्न-भिन्न भागों में स्वतंत्रता का स्तर एक सा हो, क्योंकि यह बात मेरी कल्पना से भी परे है कि भारत के कुछ भागों को तो प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हो और कुछ भागों को न प्राप्त हो। यह नहीं हो सकता। इससे झगड़े पैदा होंगे जैसा कि आज इस विशाल संसार में आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ मुल्क तो स्वतन्त्र हैं और कुछ पराधीन। इससे भी बड़ी मुसीबत यहां पैदा हो जायेगी अगर भारत के कुछ हिस्सों में तो आजादी हो और कुछ में न हो।

इस प्रस्ताव में, भारतीय रियासतों के शासन के लिये हम कोई खास पद्धति नहीं निर्धारित कर रहे हैं। हम इसमें इतना ही कहते हैं कि ये रियासतें जो खुद इतनी बड़ी हैं कि बतौर संघ के हों या कई मिलकर संघ बनावें स्वतन्त्र खुद मुख्तार प्रदेश होंगे। इनको सभी बातों में पूरी आजादी होगी, सिवा उन चन्द मामलों के जो केन्द्र के आधीन होंगे। केन्द्र में भी इनके प्रतिनिधि रहेंगे और वहां भी इन मामलों पर विचार करने में इनका सहयोग लिया जायेगा। इसलिए यह प्रस्ताव रियासतों या इनके संघों के अन्दरूनी हुकूमतों में कोई दखल नहीं देता है। ये खुदमुख्तार होंगे और जैसा मैंने कहा है अगर ये चाहेंगे तो बतौर अध्यक्ष के वैध या नियमानुमोदित राजतन्त्र रख सकते हैं इस बात के लिये वे आजाद हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भारत में और अन्य स्थानों में भी प्रजातन्त्र का हामी हूं। पर इस सम्बन्ध में मेरे व्यक्तिगत विचार जो कुछ भी हों मैं उन्हें दूसरों पर नहीं लादना चाहता। मैं समझता हूं कि इस सभा की भी यह मर्जी नहीं है, वह उन मामलों में अपनी राय दूसरों पर लादे।

इसलिये इस प्रस्ताव पर जो आपत्ति एक रियासत के राजा ने की है, वह सिद्धान्त की दृष्टि से, सारी सत्ता जनता के हाथ में है उस सिद्धान्त के व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक परिणामों का ही विरोध करती है। इसके अलावा किसी को और कोई आपत्ति नहीं है, यह आपत्ति 1 मिनट भर भी नहीं टिक सकती। हम इस प्रस्ताव में यह दावा करते हैं कि हम लोग स्वतन्त्र सर्वसत्ता सम्पन्न भारतीय प्रजातन्त्र के लिये, अनिवार्यत: प्रजातन्त्र के लिये एक विधान तैयार करेंगे। प्रजातन्त्र के अलावा आखिर भारत में हम और क्या रख सकते हैं? चाहे देशी रियासतों में जैसी भी व्यवस्था रखी जाये, यह असम्भव और अनुचित है और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत के प्रजातंत्र के अलावा अन्य कोई शासन-पद्धति होगी।

अब प्रश्न यह आता है कि वह प्रजातंत्र संसार के देशों से, इंग्लैंड से, ब्रिटिश कामनवेल्थ से कैसा सम्बन्ध रखेगा। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हमने यह प्रतिज्ञा की है और बहुत दिनों तक की है कि हम ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद करेंगे क्योंकि हमारा यह सम्बन्ध ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक बन गया है। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम दुनिया से अलग रहेंगे या उन देशों के विरुद्ध रहेंगे जिन्होंने हम पर प्रभुता की है। इस अवसर पर जब हम स्वतन्त्रता के दरवाजे पर पहुँच गये हैं हम यह नहीं चाहते कि किसी भी देश के प्रति हम में लेश-मात्र भी शत्रुता की भावना हो। हम सबके साथ दोस्ताना सलूक रखना चाहते हैं। हम

[मा. पं. जवाहरलाल नेहरू]

ब्रिटिश जनता के साथ, ब्रिटिश कामनवेल्थ के सारे देशों के साथ दोस्ताना सलूक रखना चाहते हैं।

पर जिस बात पर मैं चाहता हूं कि यह सभा विचार करे वह यह है। जब ये शब्द और ये लेबुल बड़ी तेजी से अपना मतलब बदलते जा रहे हैं और आज की दुनिया में पृथकत्व नहीं रह गया है तो आप भी दूसरों से अलग नहीं रह सकते। आपको सहयोग करना ही होगा, नहीं तो संघर्ष कीजिये। बीच का कोई रास्ता नहीं है। हम शान्ति चाहते हैं। जहां तक हमारे बस की बात है हम किसी भी देश से लड़ना नहीं चाहते। और राष्ट्रों की तरह हमारा भी यही सम्भव और वास्तविक लक्ष्य है कि एक विश्व संगठन बनाने में हम सबको सहयोग दें। उस विश्व संगठन को आप चाहें एक दुनिया के नाम से पुकारिये या अन्य किसी नाम से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से उस विश्व-संगठन के निर्माण का प्रारम्भ हो चुका है। यह अभी बहुत कमजोर है, इसमें बहुत-सी खराबियां हैं, फिर भी इससे विश्व-संगठन का प्रारम्भ तो हो ही गया है और हिन्दुस्तान ने इस काम में सहयोग देने का वायदा कर लिया है। अब यदि हम इस विश्व संगठन की बात सोचते हैं—इसमें दूसरे देशों को अपना सहयोग देने की बात सोचते हैं। तो फिर यह सवाल कहां उठता है कि हम देशों के इस गुट या उस गुट के साथ हैं। सच बात तो यह है कि जितने ज्यादा गुट या गिरोह बनेंगे उतना ही यह विश्व-संगठन कमजोर होता जायेगा।

इसलिये उस विशाल संगठन को मजबूत बनाने के हेतु सभी देशों के लिये यह वांछनीय है कि वे अलग दल या गिरोह बनाने पर जोर न दें। मैं जानता हूं कि ऐसे अलग-अलग दल और गुट आज संसार में हैं और उनके अस्तित्व ही के कारण उनमें परस्पर शत्रुता है और युद्ध की भी चर्चा उनमें चल रही है। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, शान्ति रहेगी या संघर्ष होगा। हम कगार के किनारे खड़े हैं और भिन्न-भिन्न शक्तियां हमें दो विपरीत दिशाओं में खींच रही हैं। कुछ शक्तियां हमें सहयोग की ओर, शान्ति की ओर खींच रही हैं और कुछ कगार के नीचे, युद्ध और पार्थक्य की ओर ठेल रही हैं। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं कि यह बता सकूं कि आगे क्या होगा पर इतना जरूर जानता हूं कि जो लोग शान्ति चाहते हैं उन्हें अलग-अलग गुट बनाने का विरोध करना चाहिये। इन गुटों का आपस में विरोधी हो जाना लाजिमी है, स्वाभाविक है। इसलिये जहां तक इसकी वैदेशिक नीति की गति है, हिन्दुस्तान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह दलों और गुटों से बिल्कुल अलग रहना चाहता है और दुनिया के सारे देशों के साथ बराबरी के दर्जे पर सहयोग करना चाहता है। यह स्थिति है तो बड़ी मुश्किल की क्योंकि लोगों में जब एक दूसरे के प्रति शक भरा हुआ हो तो जो आदमी तटस्थ रहना चाहता है उस पर यह शक किया जाता है कि वह दूसरे दल के साथ हमदर्दी रखता है। यह बात हम हिन्दुस्तान में भी देख सकते हैं और संसार की राजनीति के व्यापक क्षेत्र में भी। अभी हाल में एक अमेरिकन राजनीतिज्ञ ने ऐसे शब्दों में हिन्दुस्तान की आलोचना की है जिससे जाहिर होता है कि अमेरिका के राजनीतिज्ञों में जानकारी और समझ की बड़ी कमी है।

चूंकि हम अपनी स्वतन्त्र नीति बरतते है, इसलिए मुल्कों का एक गिरोह यह समझता है कि हम दूसरे गिरोह के साथ हैं और दूसरा गिरोह यह समझता है कि हम उसके विरोधी के साथ हैं। यह तो होगा ही। अगर हम भारत को स्वतन्त्र प्रजातन्त्र बनाना चाहते हैं तो इसलिए नहीं कि हम दूसरे मुल्कों से जुदा हो जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बहैसियत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के शान्ति और स्वतन्त्रता की स्थापना के लिए हम सभी देशों को—ब्रिटेन को, ब्रिटिश कामनवेल्थ के राष्ट्रों को, अमेरिका को, रूस को तथा अन्य सभी छोटे-बड़े राष्ट्रों को—अपना पूरा सहयोग देना चाहते हैं। परन्तु हमारे और इन देशों के बीच वास्तविक सहयोग तभी हो सकता है जब हम यह समझते हों कि हम स्वतन्त्र होकर सहयोग दे रहे हैं न कि यह कि सहयोग देने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। तब तक कोई भी सहयोग सम्भव नहीं है जब तक मजबूर किये जाने का रंच-मात्र भी आभास हमें मिलेगा।

इसलिए मैं इस सभा के सामने इस प्रस्ताव की तारीफ करता हूं और मैं तो कहूंगा कि न सिर्फ सभा के ही सामने बल्कि दुनिया के सामने उसकी तारीफ करता हूं, ताकि यह बात साफ हो जाये कि यह प्रस्ताव सबके प्रति सद्भावना जाहिर करने की एक कोशिश है और इसके पीछे कोई शत्रुता की भावना नहीं है। हमने गुजरे हुए जमाने में बड़ी-बड़ी मुसीबतें झेली हैं, हमने काफी संघर्ष किया है और हो सकता है कि हमें फिर संघर्ष करना पड़े। पर महात्माजी के नेतृत्व में हमारी सदा यही कोशिश रही है कि दूसरों के साथ हमारा दोस्ती और सद्भावना का बर्ताव हो, यहां तक कि उनके साथ भी जो हमारे विरोधी हैं। हम नहीं जानते कि इसमें हम कहां तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं और हममें भी कमजोरियां हैं। फिर भी महात्माजी के सन्देश की एक गहरी छाप इस देश के करोड़ों आदमियों के दिलों पर पड़ी है और उस हालत में हम जब भी गलती पर हों या कुराह पर हों, इसे भूल नहीं सकते। हममें से कुछ लोग साधारण आदमी हो सकते हैं और कुछ महान्, पर चाहे हम साधारण मुनष्य हों या महान्, फिलहाल हम एक महान् उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कुछ-न-कुछ महत्ता की छाया हम पर पड़ती ही है। आज इस सभा में हम सब एक महान् उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और यह प्रस्ताव, जिसे मैंने पेश किया है, उस महान् उद्देश्य का कुछ-कुछ स्वप्न जाहिर करता है। हम इसे पास करेंगे और उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के जरिये हम वह विधान बना पायेंगे जिसकी रूप-रेखा इसमें दी हुई है। मुझे विश्वास है कि वह विधान हमें असली आजादी देगा जिसके लिए हम इतने दिनों से रट लगा रहे थे और फिर वह आजादी हमारी भूखी जनता को खाना, कपड़ा और रहने की जगह देगी, उनकी उन्नति के लिए हर तरह के मौके देगी। मुझे यह भी विश्वास है कि इस विधान से दूसरे एशियाई मुल्कों को भी आजादी प्राप्त होगी। हम चाहे जितने भी अयोग्य हैं, हमें यह मान लेना चाहिए कि हम एक तरह से एशिया में आज स्वतन्त्रता-आन्दोलन के नेता बन गये हैं और हर काम में हमें अपने को उसी व्यापक दायरे में रखना चाहिए। जब किसी छोटी-मोटी बात से हममें मतभेद

[मा. पं. जवाहरलाल नेहरू]

पैदा हो जाये और इसकी वजह से हमारे सामने मुश्किलें और आपसी झगड़े दिखाई दें तो हम न सिर्फ प्रस्ताव को ही याद रखें, बल्कि उस बड़ी जिम्मेदारी को भी याद रखें जो हमारे कंधों पर है। 40 करोड़ भारतीय जनता की आजादी की जिम्मेदारी को, एशिया के एक विशाल भाग के नेतृत्व की जिम्मेदारी को, तथा सारे संसार की विशाल जनसंख्या के एक तरह से पथ-प्रदर्शक होने के दायित्व को, याद रखें। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इस जिम्मेदारी को याद रखें तो सीट या ओहदे के लिए, इस दल या उस दल के चन्द छोटे-मोटे लाभों के लिए शायद हम कलह न करेंगे। एक बात जो हम सबों के दिमाग में साफ-साफ आ जानी चाहिए, वह यह है कि हिन्दुस्तान का कोई दल, कोई पार्टी, कोई धर्म या कोई सम्प्रदाय कभी भी सुखी और सम्पन्न न होगा अगर स्वयं हिन्दुस्तान सुखी और सम्पन्न नहीं है। अगर हिन्दुस्तान खत्म होता है तो हम सब खत्म हो जाते हैं, चाहे हमें एक सीट ज्यादा मिली या कम, चाहे हमें थोड़ी-विशेष सुविधा मिली या नहीं। अगर हिन्दुस्तान आनन्द में है, अगर वह एक महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्र देश की तरह जीवित रहता है तो हमें भी आनन्द-ही-आनन्द है, चाहे हम किसी भी फिरके के हों, किसी भी धर्म के हों।

हम विधान बनायेंगे और मुझे उम्मीद है कि यह बहुत अच्छा विधान होगा। पर इस सभा का कोई सदस्य ऐसा भी समझता है कि स्वतन्त्र भारत अपना प्रादुर्भाव होने पर कोई भी बन्धन, भले ही वह इस सभा का ही बनाया क्यों न हो, मंजूर करेगा। स्वतंत्र भारत में तो एक शक्तिशाली राष्ट्र का तेज चारों तरफ चमकता दिखाई देगा। मैं यह नहीं जानता कि वह क्या करेगा और क्या नहीं करेगा; पर इतना जरूर जानता हूं कि वह अपने ऊपर कोई भी बंधन नहीं मंजूर करेगा। कुछ लोग यह सोचते हैं कि हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें शायद आगामी दस या बीस वर्षों तक हाथ भी न लगाया जा सके, लेकिन अगर इसे हम आज नहीं कर लेते तो शायद पीछे हम न कर पायेंगे। मेरी समझ में यह बिल्कुल मिथ्या भ्रम है, गलत ख्याल है। सभा के सामने मैं यह बात नहीं रख रहा हूं कि अमुक काम किया जाये और अमुक नहीं किया जाये। पर मैं सभा से यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वह ऐसा समझे कि अब क्रान्तिकारी परिवर्तन शीघ्र ही होने वाले हैं। क्योंकि जब किसी राष्ट्र की आत्मा अपने बन्धनों को तोड़ बैठती है तो वह एक अनोखे ढंग से काम करने लगती है और उसे अनोखे ढंग से काम करना ही चाहिए। हो सकता है कि जो विधान यह सभा बनाये, उससे स्वतन्त्र भारत को सन्तोष न हो। यह सभा आने वाली पीढ़ी को या उन लोगों को, जो इस काम में हमारे उत्तराधिकारी होंगे, बांध नहीं सकती। इसलिए हमें अपने काम के छोटे-मोटे ब्यौरों पर माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। ये ब्यौरे कभी भी टिकाऊ न होंगे अगर उन्हें हमने झगड़ा करके तय पाया। उसी चीज के टिकाऊ होने की सम्भावना है जिसे हम सहयोग से एकमत होकर पावेंगे। संघर्ष करके, दबाव डालकर, धमकी देकर हम जो कुछ भी हासिल करेंगे वह स्थायी न होगा। वह तो केवल एक दुर्भावना का सिलसिला छोड़ जायेगा और इसलिए मैं सभा के सामने से इस

प्रस्ताव की सिफारिश करता हूं। अब मैं प्रस्ताव के अन्तिम पैरे को पढ़ देता हूं। पर अध्यक्ष महोदय, इसे पढ़ने के पहले एक बात और मैं कह देना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान एक महान् देश है। प्रचुर साधनों के ख्याल से, जनशक्ति के विचार से, स्थायित्व की दृष्टि से हर तरह यह एक महान् देश है। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि आजाद हिन्दुस्तान विश्व-रंग-मंच पर हर काम में अपना जबरदस्त पार्ट अदा करेगा। भौतिक शक्ति के संकुचित क्षेत्र में भी वह पूरा हिस्सा लेगा और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में वह जबरदस्त हिस्सा ले। आज संसार में भिन्न-भिन्न शक्तियों के बीच भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में संघर्ष चल रहा है एटम बम और इसकी भिन्न-भिन्न शक्तियों के बारे में हम बहुत कुछ सुन रहे हैं। वस्तुतः आज संसार में दो प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष चल रहा है। एक ओर तो रचना-मूलक मानव-प्रवृत्ति है और दूसरी ओर है विनाश-मूलक दानव-प्रवृत्ति-जिसका एटम बम एक प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि भारत भौतिक शक्ति के क्षेत्र में अपना जबरदस्त हिस्सा तो लेगा ही, पर वह हमेशा रचनात्मक मानव-प्रवृत्ति पर ही जोर देगा। मुझे इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि इस संघर्ष में, जो आज दुनिया के सामने भूत बनकर खड़ा है अन्त में एटम बम पर, दानव-प्रवृत्ति पर, मानव-प्रवृत्ति की जीत होगी। ईश्वर करे यह प्रस्ताव फलीभूत हो और वह समय आये जब इस प्रस्ताव के अनुसार यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करे और संसार की शान्ति और मानव-कल्याण की उन्नति के लिए अपना पूरा तथा हार्दिक सहयोग दे।

***अध्यक्षः** इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करके आपके वोट देने का समय अब आ गया है। मैं आशा करता हूं कि इस अवसर की गंभीरता और इस प्रस्ताव में निहित प्रतिज्ञा और वचन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सदस्य इसके पक्ष में अपना वोट देते समय अपने स्थान पर खड़ा हो जायेगा।

मैं प्रस्ताव पढ़ता हूं:

(1) यह विधान-परिषद् भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिये एक विधान बनाया जाये:

(2) जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा उनके बाहर भी हैं और आगे स्वतन्त्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों; और

(3) जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तमान सीमा चाहे कायम रहे या विधान-सभा और बाद में विधान के नियमानुसार बनाने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा वा रहेगा उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे वा रहेंगे जो संघ को नहीं सौंपे जायेंगे और वे शासन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सभी अधिकारों को बरतेंगे, सिवाय

[अध्यक्ष]

उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौंपे जायेंगे अथवा जो संघ में स्वभावत: निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे; और

(4) जिसमें सर्वतन्त्र स्वतंत्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता जनता द्वारा प्राप्त होगी; तथा

(5) जिसमें भारत के सभी लोगों को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, व राजनैतिक न्याय के अधिकार वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम-धन्धे की, संघ बनाने वा काम करने की स्वतन्त्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायेंगे; और

(6) जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुये वा कबायली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण विधि रहेगी; और

(7) जिसके द्वारा इस जनतन्त्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे; और

(8) यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित-साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा।

(*माननीय अध्यक्ष महोदय ने तब प्रस्ताव का हिन्दी रूपान्तर पढ़कर सुनाया।*)

प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद भी मेरे पास है। दुर्भाग्य से मैं उसे पढ़ नहीं सकता। यदि कोई और सदस्य इसे मेरी ओर से पढ़ सके तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

(*उसके बाद श्री मोहनलाल सक्सेना ने प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद पढ़ा।*)

***अध्यक्ष:** मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रस्ताव के पक्ष में वोट दें।

सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रस्ताव को स्वीकार किया।

भूटान और सिक्किम को नेगोशियेटिंग कमेटी के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव

***अध्यक्ष:** अगला प्रस्ताव सिक्किम और भूटान के सम्बन्ध में है। पं. जवाहरलाल नेहरू इसे पेश करेंगे।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूं—

''यह परिषद् निश्चय करती है कि 21 दिसम्बर, 1946 के अपने प्रस्ताव के अनुसार (नरेन्द्र मंडल द्वारा नियुक्त नेगोशियेटिंग कमेटी तथा देशी रियासतों के अन्य प्रतिनिधियों से कतिपय विशेष विषयों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करने के लिए) जो कमेटी नियुक्त की गई थी, उसे अन्य बातों के अलावा भूटान और सिक्किम की विशेष समस्याओं पर विचार करने के लिए उन व्यक्तियों से विचार-विनिमय करने का, जिनसे बातचीत करना वह उचित समझेगी और इस परिषद् के सामने अपने कार्य की रिपोर्ट उपस्थित करने का भी अधिकार होगा।

श्रीमान्, क्या मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि इस प्रस्ताव की जो प्रति सदस्यों को दी गई है, उसकी अन्तिम पंक्ति को छोड़कर पहली पंक्ति में थोड़ा-सा परिवर्तन करके उसे इस प्रकार पढ़ा जाये—''भूटान और सिक्किम की विशेष समस्याओं का विचार करने के लिए और परिषद् के सामने अपनी रिपोर्ट उपस्थित करने का''...

सभा को स्मरण होगा कि गत दिसम्बर में हमने एक प्रस्ताव पास किया था जिसके अनुसार नरेन्द्र-मंडल द्वारा नियुक्त नेगोशियेटिंग कमेटी तथा देशी रियासतों के अन्य प्रतिनिधियों से निम्न विषयों पर विचार-विनिमय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. पट्टाभि सीतारमैया, श्री शंकरराव देव, सर एन. गोपालस्वामी आयंगर और मैं भी शामिल था:

(अ) परिषद् में उन 93 स्थानों के वितरण के निर्धारण का प्रश्न, जो कैबिनेट मिशन के 16 मई वाले वक्तव्य के अन्तर्गत देशी रियासतों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, और

(ब) उस प्रणाली का निर्धारण, जिसके द्वारा रियासतों के प्रतिनिधि इस परिषद् में भेजे जायें और उसके बाद इस विचार-विनिमय के परिणाम की रिपोर्ट विधान-परिषद् के सामने उपस्थित की जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित किया गया था कि बाद में अधिक-से-अधिक तीन और सदस्यों को इस कमेटी में लिया जा सकता है। इस कमेटी को दो विषयों पर विचार करना था, रियासतों के लिए सुरक्षित स्थानों का वितरण और उनका निर्धारण, और उस प्रणाली का निर्धारण जिसके द्वारा रियासतों के प्रतिनिधि इस परिषद् में भेजे जायें। एक प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ है कि उन कतिपय क्षेत्रों के बारे में हमें क्या करना होगा जो भारतीय रियासतों में शामिल नहीं हैं। हमारे सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव में भूटान और सिक्किम का उल्लेख किया गया है।

एक प्रकार से भूटान भारत के संरक्षण में एक स्वतंत्र राज्य है। सिक्किम एक तरह से एक भारतीय रियासत है जो उससे भिन्न है। इसलिए भूटान को एक भारतीय रियासत की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि भारत के सम्बन्ध में भूटान की भावी स्थिति क्या होगी? इस प्रश्न का निर्णय हमें भूटान के प्रतिनिधि के परामर्श और सहयोग से करना है। इस विषय में किसी को मजबूर करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। गत अधिवेशन में आपने जो कमेटी नियुक्त की

[मा. पं. जवाहरलाल नेहरू]

थी उसके विचारणीय विषयों के अन्तर्गत आपको ऐसी किसी भी समस्या पर सोच-विचार करने का अधिकार नहीं है। ये विषय इस परिषद् में प्रतिनिधित्व के तरीके और स्थान के वितरण तक ही सीमित हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देशी नरेशों ने यह आपत्ति उठाई है कि हमने नेगोशियेटिंग कमेटी के विचारणीय विषय इतने सीमित क्यों रखे हैं? उन्हें सीमित रखने के प्रत्यक्ष कारण हैं—रियासतों के सम्बन्ध में बाद में उठने वाली सभी समस्याओं पर परिषद् में आने वाले उनके इन प्रतिनिधियों द्वारा ही सोच-विचार किया जायेगा और उनके प्रतिनिधियों के यहां आने से पूर्व मुख्य समस्याओं के बारे में हमारे लिए कोई अन्तिम निर्णय करना मूर्खतापूर्ण होगा। इसलिए हमने जानबूझकर अपनी नेगोशियेटिंग कमेटी का कार्य सीमित रखा। परन्तु उसके कार्य-क्षेत्र को सीमित करके हमने उसे अन्य ऐसी समस्याओं पर सोच-विचार करने से रोक दिया जो देशी रियासतों से भिन्न प्रदेशों के सम्बन्ध में उठ सकती हैं, विशेषकर भूटान और सिक्किम के सम्बन्ध में और इस प्रस्ताव द्वारा उसे भूटान और सिक्किम के प्रतिनिधियों से भेंट करने और किसी भी विशिष्ट समस्या पर विचार-विनिमय करने का अधिकार दिया गया है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि आवश्यकता पड़े तो इस विधान-परिषद् को स्वतंत्र राज्यों से भी इस प्रकार की समस्याओं पर विचार-विनिमय करने का पूरा-पूरा अधिकार है। स्वतंत्र राज्यों के साथ अपने भावी सम्बन्धों के बारे में बातचीत करने का हमें निर्बाध रूप से अधिकार है। परन्तु इस समय मैं उस समस्या पर विचार नहीं कर रहा हूं। भूटान की चाहे जो भी स्थिति हो, यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हमें उसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की शक्ति और अधिकार है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम भूटान की वर्तमान प्रतिष्ठा को किसी प्रकार भी कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह चाहे कुछ भी हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि वह भारतीय रियासतों से सर्वथा भिन्न होगी। हम अपनी कमेटी को केवल उनके प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय से और उसके बाद अपनी रिपोर्ट विधान-परिषद् के सम्मुख उपस्थित करने का ही अधि कार दे रहे हैं।

श्रीमान्, मैं इस प्रस्ताव को आपकी अनुमति से उपस्थित करता हूं।

***माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पंत** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है और उसका अनुमोदन भी कर दिया गया है। यदि कोई सदस्य भाषण देना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं.... (कुछ देर रुककर)..... तो क्या मैं यह मान लूं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता? मैं प्रस्ताव को वोट लेने के लिए उपस्थित करता हूं...

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** असेम्बली के बजट के सम्बन्ध में दो प्रस्ताव हैं।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान्, कल नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस परिषद् के एक बड़े भाग ने असेम्बली को स्थगित करने की जो प्रार्थना की है उसकी ओर क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं?

***अध्यक्ष:** श्री कामत जी, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है हमारे पास कल के लिए कोई कार्य तैयार नहीं है, इसलिए प्रत्येक दशा में कल की छुट्टी होगी। (*हर्ष ध्वनि*).....श्री गाडगिल!

विधान-परिषद् के बजट के अनुमान

***श्री एन.वी. गाडगिल** (बम्बई : जनरल): मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं:

> ''यह निश्चय किया जाता है कि यह परिषद् सन् 1946-47 ई. तथा सन् 1947-48 की असेम्बली के लिए विधान-परिषद् के नियम 50 (1) के अनुसार फाइनेंस कमेटी और अधिकारियों द्वारा तैयार किये हुए आनुमानिक व्यय को, जिसे नत्थी की हुई सूची मैं दिखाया गया है, स्वीकार करती है।''

श्रीमान्, जैसा कि नियमों में रखा गया है....

***श्री के. संतानम्** (मद्रास : जनरल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर कमेटी में विचार करना चाहिए। यह उचित नहीं है कि हम दर्शकों की उपस्थिति में बजट पर वाद-विवाद करें। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमें कमेटी का रूप धारण कर लेना चाहिए।

***प्रो. एन.जी. रंगा** (मद्रास : जनरल): मैं इसका अनुमोदन करता हूं।

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसा : जनरल): मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): इस प्रस्ताव का सम्बन्ध जनता के धन से है। इस विषय पर जनता की उपस्थिति में वाद-विवाद करने से भयभीत होने का मुझे कोई कारण नहीं दीखता।

***अध्यक्ष:** इस प्रस्ताव को पेश होने दीजिये। तब हम इस पर विचार करेंगे कि आया इस पर विचार-विनिमय कमेटी में होगा।

***श्री के. संतानम्:** प्रस्ताव पेश हो चुका है। वह इस पर वक्तृता देने को हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यह गुप्त रूप से हो। कोई बात छिपाने या भयभीत होने की नहीं है परन्तु हम बोलने की स्वतन्त्रता चाहते हैं।

***अध्यक्ष:** तब मैं इस सम्बन्ध में सभा की इच्छा जानना चाहता हूं। जो इस प्रस्ताव पर कमेटी में विचार करना चाहते हों वे कृपया 'हां' कहेंगे।

***माननीय बी.जी. खेर** (बम्बई : जनरल): सम्पूर्ण सभा को कमेटी का रूप धारण करना चाहिये।

***अध्यक्ष:** वे जो कमेटी के पक्ष में हैं, 'हां' कहें।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब हम कमेटी का रूप धारण करेंगे और चूंकि कमेटी की बैठकें गुप्त रूप से होती हैं, इसलिए मैं दर्शकों से चले जाने की प्रार्थना करता हूं।

(*तब गैलरियां खाली कर दी गईं।*)

(*इसके बाद कार्यवाही गुप्त रूप से हुई।*)